

017
आदेश
कारवाई
टिप्पणी

रम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

23

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) जयप्रकाश राम पिता स्व0 प्रवीन राम एवं
(2.) बसन्त कुमार पिता स्व0 नागेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-ओरिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-बेलामुण्डवार, थाना नं0-235, खाता संख्या-29, प्लॉट संख्या-245, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि सरस्वती देवी पति प्रयाग राम, निवास स्थान-हुरहुरु रविदास मुहल्ला, हुरहुरु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON21006290 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-68/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1252/रा0 दिनांक 30.10.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 3017 दिनांक 27.12.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत छट्टु चमार हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.44 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 1.14 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-41/1 पर छट्टु चमार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। आवेदकगण के परदादा के नाम से जमाबंदी दर्ज है। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाता में रकवा 1.06 एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) जयप्रकाश राम पिता स्व0 प्रवीन राम एवं (2.) बसन्त कुमार पिता स्व0 नागेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-ओरिया, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-बेलामुण्डवार, थाना नं0-235, खाता संख्या-29, प्लॉट संख्या-245, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि सरस्वती देवी पति प्रयाग राम, निवास स्थान-हुरडुरु रविदास मुहल्ला, हुरडुरु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग</p> <p style="text-align: right;">अपर समाहर्ता, हजारीबाग</p>	